# कार्यालय:: महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश

संख्या–एम0ई0–3 / यू0जी0–2023 / 1697          लखनऊ दिनांक 04 अगस्त,2023

## यू0पी0नीट यू0जी0 (एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0)–2023 के अन्तर्गत प्रथम चक्र से आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश

1. यू0पी0 नीट यू0जी0–2023 हेतु जारी शासनादेश / ब्रोशर / अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं विभागीय वेबसाइट **www.dgme.up.gov.in** एवं एन0आई0सी0 की वेबसाईट ***https:upneet.gov.in*** पर उपलब्ध हैं, जिसमें निहित व्यवस्थाओं के आलोक में प्रवेश प्रकिया सम्पन्न की जायेगी।
2. राजकीय / निजी क्षेत्र मे आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियो के आवंटन–पत्र पर प्रवेश हेतु कालेज / नोडल सेन्टर के नाम अंकित है।
3. राजकीय क्षेत्र की सीटो पर आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रक्रिया आवंटित राजकीय / स्वशासी मेडिकल / डेण्टल कालेज / विश्वविद्यालय / संस्थान में पूर्ण की जायेगी।
4. निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजो में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रक्रिया नोडल सेन्टर पर पूर्ण की जायेगी।
5. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियो को प्रवेश के समय निम्नांकित अभिलेख मूलरूप में जमा किया जाना अनिवार्य है:–
   - यू0पी0 नीट यू0जी0 2023 का आवंटन पत्र
   - नीट यू0जी0 2023 का प्रवेश पत्र एवं स्कोर कार्ड
   - जन्म–तिथि संबंधी प्रमाण–पत्र
   - हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट का अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र
   - आरक्षण से संबंधित प्रमाण–पत्र (आवश्यकतानुसार)
   - डोमिसाइल प्रमाण–पत्र (आवश्यकतानुसार)
   - पहचान पत्र (आधार कार्ड / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट)
6. ***निजी क्षेत्र के कालेजों के लिए आवंटन–प्राप्त अभ्यर्थियों से शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क का सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, (Director General, Medical Education & Training, U.P. payble at Lucknow) के पक्ष मे निर्गत किया गया हो, नोडल सेन्टर पर जमा किया जाना अनिवार्य है।***
7. **उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC Certificate) का जाति प्रमाण–पत्र दिनांक 01 अप्रैल 2023 अथवा इसके पश्चात् का बना ही मान्य होगा।**
8. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों का मेडिकल कालेज / नोडल सेन्टर स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराया जाना अनिवार्य है।
9. शैक्षणिक सत्र 2023–24 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र मेडिकल / डेण्टल कालेजो हेतु ***शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क संबंधी शासनादेश तथा अल्पसंख्यक***

*संस्थाओं के फी–स्ट्रक्चर एन0आई0सी0* ***https:upneet.gov.in*** *की वेबसाईट– एवं विभागीय व वेबसाइट* ***www.dgme.up.gov.in*** *पर उपलब्ध है।*

10. ऐसे अभ्यर्थी जिनको प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन प्राप्त कर प्रवेश ले लिया जायेगा और वह द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में पुनरांवटन (***Reshuffle***) हेतु इच्छुक है, वह कालेज की सिक्योरिटी, हास्टल एवं विविध शुल्क द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग सम्पन्न होने के पश्चात् सम्बन्धित कालेज में रिपोर्ट करते हुए जमा करेंगें।
11. यू0पी0 नीट यू0जी0–2023 की ऑन लाइन काउन्सिलिंग से राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजो की सीटों के सापेक्ष आवंटित छात्रो की **प्रवेश प्रकिया दिनांक 05 अगस्त 2023 से 08 अगस्त 2023 तक पूर्ण की जानी है।**
12. अद्यतन सूचनाओ हेतु विभागीय वेबसाइट ***www.dgme.up.gov.in*** एवं एन0आई0सी0 की वेबसाइट ***https:upneet.gov.in*** का निरन्तर अवलोकन करते रहे।

**(महानिदेशक)**